(ग) प्राइवेट आपरेटरों द्वारा किये गए कारोबार को विभाग के राजस्व में ई हानि के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि विभाग इसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा और न ही इस पर कोई खर्च कर रहा है। जहां तक कूरिअर सेवाओं का संबंध है, जब तक वे ऐसे पार्सल और अन्य मुद्रित सामग्री लाते-ले जाते हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति को पत्राचार की श्रेणी में नहीं आती, तब तक वे भारतीय डाकघर अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(घ) समानान्तर डाक सेवाओं के विकास को, डाक सेवायें उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के रूप में नहीं लिया जा सकता इनका विकास, विकासशील वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थानों द्वारा नई किस्म की सेवाओं की मांग के कारण अधिक हुआ है।

(ङ) विभाग ने ग्राहकों को एक प्रतियोगी, तेज और गारंटी शुदा सेवा प्रदान करने के लिए 1-1-86 से अपनी स्पीड पोस्ट (एक्सप्रेस डाक सेवा) चालू की है। जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

(i) फ्री पिक-अप सर्विस,

(ii) बुक यूअर ओन आर्टिकल स्कीम,

(iii) बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी (बिना पूर्व अदायगी किए वस्तुओं की बुकिंग और बिलों का समायोजन साप्ताहिक आधार पर)।

(iv) पैसा वापस लेने की सुविधा (पे बैंक फैसिलिटी) (गारंटी शुदा समय के भीतर वितरण न करने के मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क की वापसी)।

मध्य प्रदेश को सड़क निधि से अनुदान

442. **श्री राघवजी :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3-पर बने घोड़ा पछाड़ पुल के पिछले वर्ष गिर जाने और उसके पश्चात् यातायात को विदिशा-अशोक नगर, सागर-भोपाल सड़कों की ओर मोड़े जाने के फलस्वरूप इन सड़कों पर हुई टूट-फूट के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सड़क निधि से अनुदान दिए जाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब की गई थी और कितनी धनराशि की मांग की गई है,

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और,

(घ) यदि नहीं, तो अनुदान को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर घोड़ा-पछाड़ पुल के ढह जाने से यातायात का मार्ग बदलने के कारण राज्य सड़कों को हुई क्षति में सुधार के संबंध में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 19-8-91 को 558.18 लाख रु. लागत के कुछ प्रस्ताव पेश किए थे, जिनमें विदिशा-अशोक नगर (ओडार से विदिशा सड़क), विदिशा-सागर सड़क, राहतगढ़-भोपाल सड़क और विदिशा सड़क शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में, संसद् द्वारा 13-5-88 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा दी गई आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि के बाद ही इन प्रस्तावों के अनुमोदन पर विचार किया जा सका।